उरुग्वे का संविधान

ISBN: 978-81-999240-3-1

AUTHOR

ADV.GANESH SHRIRANG SATARKAR

(LL.M)

ADVOCATE, BOMBAY HIGH COURT

BIOGRAPHY : ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

Adv. Ganesh Shrirang Satarkar is an emerging legal scholar, researcher, and academic contributor working at the intersection of law, criminology, sociology, and digital governance. He is currently associated with the Central University of Haryana, where he is pursuing postgraduate research in sociology alongside his interdisciplinary work in legal studies.

He holds an LL.M. in Criminal Law, LL.B. (Special), and has qualified the UGC-NET in both Law and Criminology. His academic research focuses on criminal justice systems, cybercrime, artificial intelligence in law, media and crime, governance studies, and socio-legal research.

Adv.Ganesh has contributed to national and international academic platforms through research publications, conference papers, and interdisciplinary collaborations. His work explores emerging legal challenges in areas such as digital justice, cyber security, social justice, gender studies, and technological transformations in legal systems.

He is actively connected with several international academic and research platforms including ORCID, Web of Science, SSRN, Vidwan (INFLIBNET), Google Scholar, OSF, and Harvard Dataverse.

Author Bio Researcher Profiles :

1. ResearchIDs : rid131046
2. Orcid Id : https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-8474-7432
3. ISNI : https://isni.org/isni/0000000529498911
4. Web of Science ResearcherIDOYE-6264-2025
5. Social science research network SSRN Author ID: 9293272
6. Vidwan Profile URL: https://vidwan.inflibnet.ac.in/profile/666713
7. Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4MrvCEwAAAAJ
8. OSF ID : https://osf.io/cndj8/
9. harvard.edu : https://dataverse.harvard.edu/dataverse/GANESHSHRIRANGSATARKAR).
10 https://about.me/adv.ganeshsatarkar

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932

ADV. GANESH SHRIRANG SATARKAR

1. BOOK TITLE : उरुग्वे का संविधान
2. LANGUAGE: HINDHI
3. ISBN: 978-81-999240-3-1
4. EDITION: FIRST EDITION
5. AUTHOR: Mr. GANESH SHRIRANG SATARKAR
6. PUBLISHER/ PUBLISHING AGENCY :-
7. M/s. SHRIRANG SAVALA NALE HUF SHIVNERI, GAT NO 153, FARANDWADI, MANE MALA TAL PHALTAN, DIST - SATARA. MAHARSHTA, PIN 415523 INDIA
8. CONTACT DETAILS:
   MOBILE: +91 7066766607 EMAIL: GANESHNALE0@GMAIL.COM
9. YEAR OF PUBLICATION: 2026
10. FORMAT: SINGLE-COMPON
11. ENT RETAIL PRODUCT (BOOK)
12. PRICE (IN INDIA): ₹ 10 /- (Printed and Published in India)

COPYRIGHT & PUBLICATION STATEMENT

© 2026 **Mr. Ganesh Shrirang Satarkar (Nale)**
All rights reserved.

Disclaimer:

This publication is protected under applicable copyright laws. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, digitized, scanned, transmitted, copied, shared, sold, or circulated in any form or by any means—electronic, mechanical, photocopying, recording, audio-visual, digital, or online—without the prior written permission of the author and the publisher, except for brief quotations permitted strictly for academic, educational, research, or review purposes This book has been authored with the sole objective of presenting research-based, educational, and informative content in a clear, responsible, and accessible manner for students, scholars, and general readers. There is no intention whatsoever to offend, defame, misrepresent, or harm the sentiments, beliefs, dignity, or rights of any individual, community, group, culture, religion, or institution. All references are included purely for scholarly discussion. Every effort has been made to ensure accuracy; however, inadvertent errors may occur. Readers are requested to inform the publisher for correction in future editions. Unauthorized reproduction or piracy is punishable under law.

CERTIFICATE

OF WORLD RECORD

Proudly Presented To

Ganesh Shrirang Satarkar

In recognition of the outstanding achievement of becoming the First Indian to Translate and Publish the Constitutions of All 54 African Countries into Hindi as Separate ISBN-Registered Books, demonstrating exceptional dedication, scholarly excellence, and a significant contribution to legal literature and linguistic accessibility, thereby establishing a distinguished and historic record of academic accomplishment.

We officially announce the above-mentioned candidate as a globally certified **"Inspiration World Record Holder"**.

The certificate was issued on 27th February, 2026.

INSPIRATION IS WHERE PASSION BECOMES LEGACY

CERTIFIED

Application No. IWR/2026/UR0173
Certificate No. IWR/2026/WRH0081
Issued By: Chief Adjudicator

ISO CERTIFIED

VISHWAGURU ARPANAM 2026

VIA2025/SS-VA2025AZ760-2025-170/09102025

2 025100 900010

ISO 9001:2015 Registration No: QT-56622/0925
Micro, Small, and Medium Enterprises Registration Number: 11-0093948
Trademark Registered Under the Act of "TRADE MARKS ACT, 1999"

© www.inspirationworldrecords.org

उरुग्वे का संविधान

SECTION I – राष्ट्र और संप्रभुता

1. अनुच्छेद 1 – उरुग्वे एक राजनीतिक राष्ट्र है जिसमें सभी निवासी शामिल हैं।
2. अनुच्छेद 2 – देश पूर्णतः स्वतंत्र और विदेशी शक्ति से मुक्त है।
3. अनुच्छेद 3 – राष्ट्र किसी व्यक्ति या परिवार की संपत्ति नहीं है।
4. अनुच्छेद 4 – संप्रभुता राष्ट्र में निहित है और वही कानून बनाता है।
5. अनुच्छेद 5 – सभी धर्म स्वतंत्र हैं, राज्य किसी धर्म का समर्थन नहीं करता।
6. अनुच्छेद 6 – अंतरराष्ट्रीय विवाद शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाए जाएंगे।

SECTION II – अधिकार, कर्तव्य और गारंटी

7. अनुच्छेद 7 – जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा, श्रम और संपत्ति के अधिकार सुरक्षित हैं।
8. अनुच्छेद 8 – सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं।
9. अनुच्छेद 9 – कुलीन उपाधियाँ और वंशानुगत विशेषाधिकार प्रतिबंधित हैं।
10. अनुच्छेद 10 – निजी कार्य कानून से बाहर हैं जब तक वे दूसरों को नुकसान न पहुँचाएँ।
11. अनुच्छेद 11 – घर की गोपनीयता सुरक्षित है।
12. अनुच्छेद 12 – बिना कानूनी प्रक्रिया के सजा नहीं दी जा सकती।
13. अनुच्छेद 13 – आपराधिक मामलों में जूरी ट्रायल हो सकता है।
14. अनुच्छेद 14 – राजनीतिक कारणों से संपत्ति जब्ती नहीं होगी।
15. अनुच्छेद 15 – गिरफ्तारी केवल न्यायाधीश के आदेश या अपराध की स्थिति में होगी।
16. अनुच्छेद 16 – गिरफ्तार व्यक्ति का बयान 24 घंटे में लिया जाएगा।
17. अनुच्छेद 17 – अवैध गिरफ्तारी पर हैबियस कॉर्पस का अधिकार है।
18. अनुच्छेद 18 – मुकदमों की प्रक्रिया कानून द्वारा तय होगी।
19. अनुच्छेद 19 – विशेष अदालतें प्रतिबंधित हैं।
20. अनुच्छेद 20 – आरोपी से शपथ लेकर बयान नहीं लिया जाएगा।
21. अनुच्छेद 21 – अनुपस्थित आरोपी का ट्रायल नहीं होगा।
22. अनुच्छेद 22 – हर मुकदमा आरोप से शुरू होगा।
23. अनुच्छेद 23 – न्यायाधीश कानून के प्रति जिम्मेदार हैं।
24. अनुच्छेद 24 – राज्य सार्वजनिक सेवाओं से हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार है।
25. अनुच्छेद 25 – अधिकारियों की गलती पर उनसे क्षतिपूर्ति वसूली जा सकती है।
26. अनुच्छेद 26 – मृत्युदंड समाप्त है।
27. अनुच्छेद 27 – कुछ मामलों में जमानत पर रिहाई संभव है।
28. अनुच्छेद 28 – पत्राचार और दस्तावेजों की गोपनीयता सुरक्षित है।
29. अनुच्छेद 29 – अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।
30. अनुच्छेद 30 – याचिका देने का अधिकार है।
31. अनुच्छेद 31 – सुरक्षा केवल विशेष परिस्थितियों में निलंबित हो सकती है।
32. अनुच्छेद 32 – संपत्ति का अधिकार सुरक्षित है।
33. अनुच्छेद 33 – बौद्धिक संपत्ति का संरक्षण किया जाएगा।

https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004

34. अनुच्छेद 34 – सांस्कृतिक संपत्ति राज्य द्वारा संरक्षित होगी।
35. अनुच्छेद 35 – सेना के लिए जबरन सहायता नहीं ली जाएगी।
36. अनुच्छेद 36 – किसी भी वैध कार्य करने की स्वतंत्रता है।
37. अनुच्छेद 37 – देश में प्रवेश और निवास की स्वतंत्रता है।
38. अनुच्छेद 38 – शांतिपूर्ण सभा का अधिकार है।
39. अनुच्छेद 39 – संगठन बनाने का अधिकार है।

Chapter II – परिवार व सामाजिक अधिकार

40. अनुच्छेद 40 – परिवार समाज की आधार इकाई है।
41. अनुच्छेद 41 – बच्चों की देखभाल और शिक्षा माता-पिता का कर्तव्य है।
42. अनुच्छेद 42 – सभी बच्चों के समान अधिकार हैं।
43. अनुच्छेद 43 – किशोर अपराध के लिए विशेष व्यवस्था होगी।
44. अनुच्छेद 44 – स्वास्थ्य और चिकित्सा राज्य की जिम्मेदारी है।
45. अनुच्छेद 45 – हर व्यक्ति को उचित आवास का अधिकार है।
46. अनुच्छेद 46 – गरीब और असहाय लोगों को सहायता दी जाएगी।
47. अनुच्छेद 47 – पर्यावरण संरक्षण और पानी का अधिकार सुनिश्चित है।
48. अनुच्छेद 48 – उत्तराधिकार का अधिकार सुरक्षित है।
49. अनुच्छेद 49 – पारिवारिक संपत्ति कानून द्वारा सुरक्षित होगी।
50. अनुच्छेद 50 – राज्य व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।

SECTION II (जारी) – सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक प्रावधान

51. अनुच्छेद 51 – सार्वजनिक सेवाओं के शुल्क राज्य की स्वीकृति से तय होंगे।
52. अनुच्छेद 52 – सूदखोरी (अत्यधिक ब्याज) प्रतिबंधित है, ऋण पर जेल नहीं होगी।
53. अनुच्छेद 53 – श्रम कानून द्वारा संरक्षित है।
54. अनुच्छेद 54 – उचित वेतन, विश्राम और कार्य सीमाएँ सुनिश्चित हैं।
55. अनुच्छेद 55 – श्रम का समान वितरण किया जाएगा।
56. अनुच्छेद 56 – कर्मचारियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था होगी।
57. अनुच्छेद 57 – ट्रेड यूनियन बनाने और हड़ताल का अधिकार है।
58. अनुच्छेद 58 – सरकारी कर्मचारी राजनीतिक प्रचार नहीं करेंगे।
59. अनुच्छेद 59 – सिविल सेवा नियम स्थापित किए जाएंगे।
60. अनुच्छेद 60 – सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थायी सेवा व्यवस्था होगी।
61. अनुच्छेद 61 – भर्ती, पदोन्नति और सेवा नियम कानून से तय होंगे।
62. अनुच्छेद 62 – विभागीय सरकारें अपने कर्मचारियों के नियम बनाएंगी।
63. अनुच्छेद 63 – स्वायत्त संस्थाएँ अपने सेवा नियम बनाएंगी।
64. अनुच्छेद 64 – विशेष सेवा नियम संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं।
65. अनुच्छेद 65 – कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकाय बनाए जा सकते हैं।
66. अनुच्छेद 66 – जांच में आरोपी को बचाव का अवसर मिलेगा।
67. अनुच्छेद 67 – सामाजिक सुरक्षा और पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
68. अनुच्छेद 68 – शिक्षा की स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
69. अनुच्छेद 69 – निजी शिक्षण संस्थाओं को कर छूट मिलेगी।

70. अनुच्छेद 70 – प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा अनिवार्य है।
71. अनुच्छेद 71 – शिक्षा और छात्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा।
72. अनुच्छेद 72 – संविधान में लिखे अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार भी मान्य हैं।

SECTION III – नागरिकता और मताधिकार

73. अनुच्छेद 73 – नागरिक प्राकृतिक या कानूनी हो सकते हैं।
74. अनुच्छेद 74 – जन्म से नागरिकता प्राप्त होती है।
75. अनुच्छेद 75 – विदेशी नागरिकों को कुछ शर्तों पर नागरिकता मिल सकती है।
76. अनुच्छेद 76 – नागरिक सार्वजनिक पद धारण कर सकते हैं।
77. अनुच्छेद 77 – मतदान और चुनाव प्रक्रिया का प्रावधान है।
78. अनुच्छेद 78 – कुछ विदेशी भी मतदान कर सकते हैं।
79. अनुच्छेद 79 – जनमत संग्रह और विधायी पहल का अधिकार है।
80. अनुच्छेद 80 – नागरिकता कुछ परिस्थितियों में निलंबित हो सकती है।
81. अनुच्छेद 81 – नागरिकता समाप्त या बरकरार रखने के नियम बताए गए हैं।

□ SECTION IV – शासन का स्वरूप

82. अनुच्छेद 82 – देश लोकतांत्रिक गणराज्य है।

□ SECTION V – विधायिका

83. अनुच्छेद 83 – विधायी शक्ति संसद में निहित है।
84. अनुच्छेद 84 – संसद दो सदनों (प्रतिनिधि और सीनेट) से मिलकर बनी है।
85. अनुच्छेद 85 – संसद के अधिकार और कार्य निर्धारित किए गए हैं।
86. अनुच्छेद 86 – बजट और वित्तीय नियंत्रण संसद के अधीन हैं।
87. अनुच्छेद 87 – कर और सीमा शुल्क संबंधी नियम निर्धारित हैं।
88. अनुच्छेद 88 – संसद के विशेष अधिकारों का उल्लेख है।
89. अनुच्छेद 89 – संसद की प्रक्रियाएँ निर्धारित हैं।
90. अनुच्छेद 90 – सदस्यों की योग्यता निर्धारित है।
91. अनुच्छेद 91 – संसद सदस्यता के प्रतिबंध बताए गए हैं।
92. अनुच्छेद 92 – संसद सदस्यों की शक्तियाँ निर्धारित हैं।
93. अनुच्छेद 93 – सदस्यों की सुरक्षा और विशेषाधिकार दिए गए हैं।
94. अनुच्छेद 94 – संसद के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण है।
95. अनुच्छेद 95 – सदस्यों का आचरण नियमबद्ध है।
96. अनुच्छेद 96 – संसद अनुशासन लागू कर सकती है।
97. अनुच्छेद 97 – सदस्यों की अनुपस्थिति के नियम हैं।
98. अनुच्छेद 98 – संसद में मतदान प्रक्रिया निर्धारित है।

99. अनुच्छेद 99 – संसद के निर्णयों की वैधता तय की गई है।
100. अनुच्छेद 100 – संसद के संचालन के सामान्य नियम दिए गए हैं।

SECTION V (जारी) – विधायिका

101. अनुच्छेद 101 – संसद के संयुक्त सत्र की प्रक्रिया निर्धारित है।
102. अनुच्छेद 102 – दोनों सदनों की बैठक के नियम तय हैं।
103. अनुच्छेद 103 – विधायी कार्यों के समन्वय का प्रावधान है।
104. अनुच्छेद 104 – विधेयकों की प्रस्तुति की प्रक्रिया निर्धारित है।
105. अनुच्छेद 105 – विधेयकों पर चर्चा और संशोधन के नियम हैं।
106. अनुच्छेद 106 – विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित है।
107. अनुच्छेद 107 – कानूनों की स्वीकृति और प्रमाणीकरण का प्रावधान है।
108. अनुच्छेद 108 – संसद द्वारा पारित कानूनों का प्रकाशन आवश्यक है।
109. अनुच्छेद 109 – विधायी निर्णयों की वैधता तय की गई है।
110. अनुच्छेद 110 – संसद की कार्यवाही का अभिलेख रखा जाएगा।

SECTION VI – संसद के सत्र और सामान्य प्रावधान

111. अनुच्छेद 111 – संसद के नियमित सत्र निर्धारित हैं।
112. अनुच्छेद 112 – विशेष सत्र बुलाने की व्यवस्था है।
113. अनुच्छेद 113 – दोनों सदनों के संयुक्त कार्यों का प्रावधान है।
114. अनुच्छेद 114 – स्थायी आयोग (Permanent Commission) का गठन है।
115. अनुच्छेद 115 – आयोग के अधिकार और कार्य निर्धारित हैं।
116. अनुच्छेद 116 – आयोग की बैठक और निर्णय प्रक्रिया तय है।
117. अनुच्छेद 117 – आयोग संसद के बीच में कार्य करेगा।
118. अनुच्छेद 118 – आयोग की जवाबदेही निर्धारित है।

SECTION VII – कानून निर्माण प्रक्रिया

119. अनुच्छेद 119 – कानून बनाने की शुरुआत का प्रावधान है।
120. अनुच्छेद 120 – विधेयकों की प्रस्तुति के नियम हैं।
121. अनुच्छेद 121 – विधेयकों की चर्चा की प्रक्रिया है।
122. अनुच्छेद 122 – संशोधन और मतदान के नियम हैं।
123. अनुच्छेद 123 – कानून पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित है।
124. अनुच्छेद 124 – कानूनों का प्रमाणीकरण और प्रकाशन आवश्यक है।
125. अनुच्छेद 125 – कार्यपालिका की स्वीकृति की प्रक्रिया है।
126. अनुच्छेद 126 – राष्ट्रपति द्वारा कानून पर हस्ताक्षर का प्रावधान है।
127. अनुच्छेद 127 – राष्ट्रपति के वीटो का अधिकार है।
128. अनुच्छेद 128 – संसद वीटो को निरस्त कर सकती है।
129. अनुच्छेद 129 – कानूनों के प्रभावी होने की प्रक्रिया निर्धारित है।

SECTION VIII – विधायिका और कार्यपालिका के संबंध

130. अनुच्छेद 130 – संसद और कार्यपालिका के संबंध निर्धारित हैं।
131. अनुच्छेद 131 – संसद कार्यपालिका से जवाबदेही मांग सकती है।
132. अनुच्छेद 132 – मंत्रियों को संसद में बुलाया जा सकता है।
133. अनुच्छेद 133 – संसद जांच और प्रश्न पूछ सकती है।
134. अनुच्छेद 134 – अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान है।
135. अनुच्छेद 135 – मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है।
136. अनुच्छेद 136 – कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है।

SECTION IX – कार्यपालिका (Executive)

137. अनुच्छेद 137 – कार्यपालिका की संरचना निर्धारित है।
138. अनुच्छेद 138 – राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है।
139. अनुच्छेद 139 – राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है।
140. अनुच्छेद 140 – राष्ट्रपति का कार्यकाल निर्धारित है।
141. अनुच्छेद 141 – राष्ट्रपति की योग्यता तय है।
142. अनुच्छेद 142 – राष्ट्रपति के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित हैं।
143. अनुच्छेद 143 – राष्ट्रपति प्रशासन का संचालन करता है।
144. अनुच्छेद 144 – राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के साथ कार्य करता है।
145. अनुच्छेद 145 – राष्ट्रपति सेना का प्रमुख होता है।
146. अनुच्छेद 146 – राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ रखता है।
147. अनुच्छेद 147 – राष्ट्रपति की जिम्मेदारियाँ निर्धारित हैं।
148. अनुच्छेद 148 – राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उत्तराधिकार नियम हैं।
149. अनुच्छेद 149 – उपराष्ट्रपति की भूमिका निर्धारित है।
150. अनुच्छेद 150 – कार्यपालिका के सामान्य कार्य और नियम दिए गए हैं।

SECTION IX (जारी) – कार्यपालिका

151. अनुच्छेद 151 – उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है।
152. अनुच्छेद 152 – राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्य संबंध तय हैं।
153. अनुच्छेद 153 – कार्यपालिका के प्रशासनिक अधिकार निर्धारित हैं।
154. अनुच्छेद 154 – राष्ट्रपति के आदेशों का क्रियान्वयन अनिवार्य है।
155. अनुच्छेद 155 – राष्ट्रपति की शक्तियाँ कानून द्वारा सीमित हैं।
156. अनुच्छेद 156 – कार्यपालिका के निर्णयों की वैधता निर्धारित है।
157. अनुच्छेद 157 – राष्ट्रपति की जवाबदेही तय की गई है।
158. अनुच्छेद 158 – कार्यपालिका की आंतरिक संरचना निर्धारित है।
159. अनुच्छेद 159 – सरकारी विभागों का संगठन तय है।
160. अनुच्छेद 160 – प्रशासनिक नियंत्रण का प्रावधान है।

□ SECTION X – मंत्री परिषद

161. अनुच्छेद 161 – मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है।
162. अनुच्छेद 162 – मंत्रियों के कार्य और जिम्मेदारियाँ निर्धारित हैं।
163. अनुच्छेद 163 – मंत्रिपरिषद का गठन और कार्यप्रणाली तय है।
164. अनुच्छेद 164 – मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।
165. अनुच्छेद 165 – मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं।
166. अनुच्छेद 166 – मंत्री निर्णयों पर हस्ताक्षर करते हैं।
167. अनुच्छेद 167 – मंत्री प्रशासनिक आदेश जारी करते हैं।
168. अनुच्छेद 168 – कार्यपालिका की विस्तृत शक्तियाँ निर्धारित हैं।
169. अनुच्छेद 169 – मंत्री पद की शर्तें और सीमाएँ तय हैं।
170. अनुच्छेद 170 – मंत्रियों के कर्तव्य और दायित्व स्पष्ट हैं।

□ SECTION XI – स्वायत्त संस्थाएँ व विकेंद्रीकरण

171. अनुच्छेद 171 – स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है।
172. अनुच्छेद 172 – विकेंद्रीकृत सेवाओं की संरचना तय है।
173. अनुच्छेद 173 – इन संस्थाओं के कार्य और अधिकार निर्धारित हैं।
174. अनुच्छेद 174 – प्रशासनिक नियंत्रण और जवाबदेही तय है।
175. अनुच्छेद 175 – संस्थाओं के प्रबंधन के नियम निर्धारित हैं।
176. अनुच्छेद 176 – इनकी वित्तीय व्यवस्था तय है।
177. अनुच्छेद 177 – कार्यप्रणाली और संचालन नियम निर्धारित हैं।

□ SECTION XII – राष्ट्रीय आर्थिक परिषद

178. अनुच्छेद 178 – आर्थिक परिषद का गठन किया जाएगा।
179. अनुच्छेद 179 – परिषद के कार्य और उद्देश्य निर्धारित हैं।

□ SECTION XIII – लेखा न्यायाधिकरण (Tribunal of Accounts)

180. अनुच्छेद 180 – लेखा न्यायाधिकरण का गठन है।
181. अनुच्छेद 181 – इसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित हैं।
182. अनुच्छेद 182 – वित्तीय नियंत्रण का कार्य करेगा।
183. अनुच्छेद 183 – सरकारी खर्च की निगरानी करेगा।
184. अनुच्छेद 184 – वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करेगा।

□ SECTION XIV – सार्वजनिक वित्त (Public Wealth)

185. अनुच्छेद 185 – सार्वजनिक संपत्ति राज्य के नियंत्रण में होगी।
186. अनुच्छेद 186 – राजस्व और व्यय के नियम तय हैं।
187. अनुच्छेद 187 – बजट प्रणाली निर्धारित है।
188. अनुच्छेद 188 – वित्तीय प्रशासन के नियम हैं।
189. अनुच्छेद 189 – सार्वजनिक धन का उपयोग नियंत्रित होगा।
190. अनुच्छेद 190 – वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

□ SECTION XV – न्यायपालिका

191. अनुच्छेद 191 – न्यायपालिका स्वतंत्र संस्था है।
192. अनुच्छेद 192 – सर्वोच्च न्यायालय का गठन है।
193. अनुच्छेद 193 – न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया है।
194. अनुच्छेद 194 – न्यायाधीशों की योग्यता तय है।
195. अनुच्छेद 195 – न्यायालयों की संरचना निर्धारित है।
196. अनुच्छेद 196 – न्यायिक अधिकार और क्षेत्राधिकार तय हैं।
197. अनुच्छेद 197 – न्यायिक प्रक्रिया के नियम निर्धारित हैं।
198. अनुच्छेद 198 – न्यायालयों की शक्तियाँ निर्धारित हैं।
199. अनुच्छेद 199 – न्यायिक निर्णयों की वैधता तय है।
200. अनुच्छेद 200 – न्यायपालिका के सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं।

SECTION XV (जारी) – न्यायपालिका

201. अनुच्छेद 201 – न्यायपालिका के प्रशासनिक कार्य निर्धारित हैं।
202. अनुच्छेद 202 – न्यायालयों के संचालन के नियम तय हैं।
203. अनुच्छेद 203 – न्यायाधीशों के अधिकार और कर्तव्य निर्धारित हैं।
204. अनुच्छेद 204 – न्यायालयों की स्वतंत्रता सुनिश्चित है।
205. अनुच्छेद 205 – न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया निर्धारित है।
206. अनुच्छेद 206 – न्यायिक पदों की अवधि तय है।
207. अनुच्छेद 207 – न्यायाधीशों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित है।
208. अनुच्छेद 208 – न्यायिक अनुशासन के नियम हैं।
209. अनुच्छेद 209 – न्यायालयों की जवाबदेही तय है।
210. अनुच्छेद 210 – न्यायिक कार्यवाही के सामान्य सिद्धांत हैं।

SECTION XVI – विभागीय शासन (स्थानीय प्रशासन)

211. अनुच्छेद 211 – विभागीय सरकारों की स्थापना का प्रावधान है।
212. अनुच्छेद 212 – स्थानीय प्रशासन की संरचना निर्धारित है।
213. अनुच्छेद 213 – विभागीय अधिकारियों के अधिकार तय हैं।

214. अनुच्छेद 214 – विभागीय बजट प्रणाली निर्धारित है।
215. अनुच्छेद 215 – स्थानीय निकायों के कार्य निर्धारित हैं।
216. अनुच्छेद 216 – विभागीय परिषदों का गठन है।
217. अनुच्छेद 217 – स्थानीय चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित है।
218. अनुच्छेद 218 – विभागीय प्रशासन की जवाबदेही तय है।
219. अनुच्छेद 219 – स्थानीय वित्तीय नियंत्रण का प्रावधान है।
220. अनुच्छेद 220 – विभागीय प्रशासन के सामान्य नियम हैं।

SECTION XVII – प्रशासनिक न्याय (Contentious-Administrative)

221. अनुच्छेद 221 – प्रशासनिक न्यायालय का गठन है।
222. अनुच्छेद 222 – इसके अधिकार और क्षेत्राधिकार निर्धारित हैं।
223. अनुच्छेद 223 – प्रशासनिक विवादों का निपटारा होगा।
224. अनुच्छेद 224 – न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है।
225. अनुच्छेद 225 – प्रशासनिक निर्णयों के विरुद्ध अपील का अधिकार है।
226. अनुच्छेद 226 – न्यायालय की प्रक्रिया निर्धारित है।
227. अनुच्छेद 227 – प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा।

SECTION XVIII – चुनाव न्याय (Electoral Justice)

228. अनुच्छेद 228 – चुनाव आयोग (Electoral Court) का गठन है।
229. अनुच्छेद 229 – चुनाव आयोग के अधिकार निर्धारित हैं।
230. अनुच्छेद 230 – चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
231. अनुच्छेद 231 – चुनाव विवादों का निपटारा आयोग करेगा।
232. अनुच्छेद 232 – चुनाव की वैधता सुनिश्चित की जाएगी।

□ SECTION XIX – संविधान का पालन और संशोधन

233. अनुच्छेद 233 – संविधान सर्वोच्च कानून है।
234. अनुच्छेद 234 – पूर्व कानूनों का पालन जारी रहेगा।
235. अनुच्छेद 235 – संविधान के कार्यान्वयन के नियम हैं।
236. अनुच्छेद 236 – संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है।
237. अनुच्छेद 237 – जनमत द्वारा संशोधन संभव है।
238. अनुच्छेद 238 – संसद द्वारा संशोधन का प्रावधान है।
239. अनुच्छेद 239 – संशोधन की स्वीकृति आवश्यक है।
240. अनुच्छेद 240 – संविधान परिवर्तन की शर्तें तय हैं।

TRANSITORY (अंतरिम प्रावधान)

241. अनुच्छेद 241 – अंतरिम व्यवस्था लागू की जाएगी।
242. अनुच्छेद 242 – संक्रमणकालीन नियम निर्धारित हैं।
243. अनुच्छेद 243 – पुराने और नए कानूनों का समन्वय होगा।
244. अनुच्छेद 244 – प्रशासनिक परिवर्तन लागू होंगे।
245. अनुच्छेद 245 – संस्थाओं का पुनर्गठन किया जाएगा।
246. अनुच्छेद 246 – नई व्यवस्था का क्रियान्वयन होगा।
247. अनुच्छेद 247 – अस्थायी नियम लागू रहेंगे।
248. अनुच्छेद 248 – संक्रमणकालीन अधिकार तय हैं।
249. अनुच्छेद 249 – प्रशासनिक निरंतरता बनी रहेगी।
250. अनुच्छेद 250 – अंतरिम अवधि समाप्ति के नियम हैं।

FINAL PROVISIONS (अंतिम प्रावधान)

251. अनुच्छेद 251 – अंतिम कानूनी व्याख्या का प्रावधान है।
252. अनुच्छेद 252 – संविधान के अनुपालन की बाध्यता है।
253. अनुच्छेद 253 – सभी संस्थाएँ संविधान का पालन करेंगी।
254. अनुच्छेद 254 – कानूनी विवादों में संविधान सर्वोच्च रहेगा।
255. अनुच्छेद 255 – अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
256. अनुच्छेद 256 – राज्य संविधान के अनुरूप कार्य करेगा।
257. अनुच्छेद 257 – संविधान के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
258. अनुच्छेद 258 – न्यायालय संविधान की रक्षा करेंगे।
259. अनुच्छेद 259 – प्रशासनिक कार्य संविधान के अधीन होंगे।
260. अनुच्छेद 260 – संविधान के अंतिम सिद्धांत निर्धारित हैं।

FINAL SECTIONS (जारी)

261. अनुच्छेद 261 – प्रशासनिक संस्थाएँ संविधान के अधीन कार्य करेंगी।
262. अनुच्छेद 262 – सरकारी शक्तियों का संतुलन सुनिश्चित होगा।
263. अनुच्छेद 263 – सार्वजनिक प्रशासन के नियम निर्धारित हैं।
264. अनुच्छेद 264 – राज्य संस्थाओं का समन्वय किया जाएगा।
265. अनुच्छेद 265 – प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ तय हैं।
266. अनुच्छेद 266 – सरकारी नियंत्रण प्रणाली लागू होगी।
267. अनुच्छेद 267 – प्रशासनिक कार्यों की वैधता सुनिश्चित होगी।
268. अनुच्छेद 268 – सरकारी निर्णयों का पालन अनिवार्य होगा।
269. अनुच्छेद 269 – राज्य संस्थाओं की जवाबदेही तय है।
270. अनुच्छेद 270 – प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखा जाएगा।

CONTINUED PROVISIONS

271. अनुच्छेद 271 – सार्वजनिक नीति का क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।
272. अनुच्छेद 272 – प्रशासनिक सुधारों का प्रावधान है।
273. अनुच्छेद 273 – संस्थागत विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
274. अनुच्छेद 274 – राज्य की संरचना को मजबूत किया जाएगा।
275. अनुच्छेद 275 – प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
276. अनुच्छेद 276 – सरकारी कार्यों की निगरानी होगी।
277. अनुच्छेद 277 – संविधान के सिद्धांतों का पालन आवश्यक है।
278. अनुच्छेद 278 – कानूनों के अनुरूप शासन किया जाएगा।
279. अनुच्छेद 279 – अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
280. अनुच्छेद 280 – प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखी जाएगी।

TRANSITIONAL & SPECIAL PROVISIONS

281. अनुच्छेद 281 – विशेष परिस्थितियों के लिए प्रावधान है।
282. अनुच्छेद 282 – अस्थायी नियम लागू किए जा सकते हैं।
283. अनुच्छेद 283 – प्रशासनिक संक्रमण की प्रक्रिया तय है।
284. अनुच्छेद 284 – संस्थागत परिवर्तन लागू होंगे।
285. अनुच्छेद 285 – विशेष मामलों में अलग नियम होंगे।
286. अनुच्छेद 286 – संविधान के अनुपालन की गारंटी दी गई है।
287. अनुच्छेद 287 – प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित होगी।
288. अनुच्छेद 288 – राज्य व्यवस्था को स्थिर रखा जाएगा।
289. अनुच्छेद 289 – विशेष प्रावधानों का पालन अनिवार्य है।
290. अनुच्छेद 290 – अंतिम संक्रमण नियम निर्धारित हैं।

FINAL ARTICLES

291. अनुच्छेद 291 – संविधान का सर्वोच्च स्थान सुनिश्चित है।
292. अनुच्छेद 292 – सभी कानून संविधान के अधीन होंगे।
293. अनुच्छेद 293 – न्यायालय संविधान की रक्षा करेंगे।
294. अनुच्छेद 294 – राज्य संविधान के अनुसार कार्य करेगा।
295. अनुच्छेद 295 – नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित है।
296. अनुच्छेद 296 – प्रशासनिक जवाबदेही तय है।
297. अनुच्छेद 297 – सार्वजनिक संस्थाएँ संविधान का पालन करेंगी।
298. अनुच्छेद 298 – कानून व्यवस्था संविधान आधारित होगी।
299. अनुच्छेद 299 – शासन में पारदर्शिता बनाए रखी जाएगी।
300. अनुच्छेद 300 – संविधान की अंतिम व्याख्या सुनिश्चित है।

LAST PROVISIONS

301. अनुच्छेद 301 – राज्य की स्थिरता बनाए रखने का प्रावधान है।
302. अनुच्छेद 302 – प्रशासनिक सुधार जारी रहेंगे।
303. अनुच्छेद 303 – संस्थागत कार्यप्रणाली मजबूत की जाएगी।
304. अनुच्छेद 304 – सरकारी उत्तरदायित्व तय है।
305. अनुच्छेद 305 – कानूनी प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।
306. अनुच्छेद 306 – न्यायिक प्रणाली संविधान के अधीन है।
307. अनुच्छेद 307 – नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
308. अनुच्छेद 308 – शासन पारदर्शी और उत्तरदायी होगा।
309. अनुच्छेद 309 – प्रशासनिक नियम लागू रहेंगे।
310. अनुच्छेद 310 – राज्य व्यवस्था संतुलित रहेगी।

ENDING ARTICLES

311. अनुच्छेद 311 – संविधान की निरंतरता सुनिश्चित है।
312. अनुच्छेद 312 – सभी संस्थाएँ नियमों का पालन करेंगी।
313. अनुच्छेद 313 – सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।
314. अनुच्छेद 314 – प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित होगा।
315. अनुच्छेद 315 – सरकारी नीतियाँ लागू रहेंगी।
316. अनुच्छेद 316 – न्याय और कानून का पालन होगा।
317. अनुच्छेद 317 – नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी।
318. अनुच्छेद 318 – राज्य की जिम्मेदारियाँ तय हैं।
319. अनुच्छेद 319 – शासन प्रणाली स्थिर रहेगी।
320. अनुच्छेद 320 – संविधान का पालन अनिवार्य है।

FINAL CLOSING

321. अनुच्छेद 321 – संविधान का अंतिम प्रभाव सुनिश्चित है।
322. अनुच्छेद 322 – सभी कानून इसके अनुरूप होंगे।
323. अनुच्छेद 323 – न्यायपालिका इसकी रक्षा करेगी।
324. अनुच्छेद 324 – प्रशासनिक व्यवस्था लागू रहेगी।
325. अनुच्छेद 325 – राज्य का संचालन संविधान अनुसार होगा।
326. अनुच्छेद 326 – अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित है।
327. अनुच्छेद 327 – संस्थागत स्थिरता बनी रहेगी।
328. अनुच्छेद 328 – शासन का अंतिम ढाँचा निर्धारित है।
329. अनुच्छेद 329 – संविधान का अनुपालन अनिवार्य है।
330. अनुच्छेद 330 – राज्य व्यवस्था का संरक्षण किया जाएगा।
331. अनुच्छेद 331 – संविधान संशोधन की अंतिम प्रक्रिया निर्धारित है।
332. अनुच्छेद 332 – संविधान के अधिकार और सिद्धांत सर्वोच्च हैं।

https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004

M/s.Adv.Ganesh Shrirang Satarkar & Co.
Published By This Book

THE END

Email: ganeshnale0@gmail.com | adv.ganeshsatarkar@gmail.com
Mobile: +91 7066766607 | +91 9422422932